ᶍ

कृषि निदेशालय–उत्तर प्रदेश
(प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो अनुभाग, लखनऊ)

पत्रांक ब्यूरो/ 835 /दिनांक 6, सितम्बर, 2017

समस्त उप कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में किसानों द्वारा छिटपुट रूप से फसलों की कटाई के उपरान्त फसल अवशेषों के जलाने की घटना प्रकाश में आती रही है। फसल अवशेषों के खेतों में जलाने से जहाँ बहुमूल्य जैव पदार्थ जलकर नष्ट होता है, वहीं भूमि की सतह गर्म होने तथा मृदा की भौतिक और रासायनिक संरचना प्रभावित होने से भूमि की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसके साथ ही लाभदायक कीटों की संख्या भी जल जाती है तथा फसल अवशेषों के जलने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। उपजे धुएँ से दमा एवं श्वांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने के साथ ही धुन्ध के धनीभूत होने से यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाएं होती हैं। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्युनल द्वारा खेतों में फसल अवशेषों के जलाने के इन कुप्रभावों को देखते हुए इसपर नियंत्रण करने के उद्देश्य से दण्ड की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। फसल अवशेष जैव ऊर्जा के बहुमूल्य स्रोत हैं, इनके द्वारा कृषक बायोकोल, बायो सी0एन0जी0 तथा बायो खाद आदि का निर्माण कर न केवल इनके जलाने के दुष्प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं अपितु इससे अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जा सकती है। उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए रू0–25.00 लाख तक की परियोजना लागत का 25 से 35 प्रतिशत अंश पूँजीगत अनुदान के रूप में तथा रू0–25.00 लाख से रू0–10.00 करोड़ तक के निवेश की इकाईयों को ब्याज उपादान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही रू0–1.00 करोड़ तक निवेश की औद्योगिक इकाईयों को सेन्ट्रल गारण्टी ट्रस्ट फॉर एम0एस0एम0ई0 से सम्यक गारण्टी की भी सुविधा उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

विशेष जानकारी के लिए राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, पॉचवां तल, योजना भवन, लखनऊ–226001 ई–मेल–upbioenergy2017@gmail.com, ps_ojha@yahoo.com मो0नं0–9415004917, 9795843496 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आपसे अपेक्षा है कि जनपद के कृषकों का फसल अवशेषों को जलाने के बजाए राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की योजनाओं से लाभान्वित होकर इकाईयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करें जिससे कृषक इन फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें।

(सोराज सिंह)
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन ब्यूरो/ /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक,उत्तर प्रदेश।
2. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
3. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, पॉचवां तल, योजना भवन, लखनऊ–226001।

सं0 – 415
07/09/2017

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश।

(सम्बन्धित सहा0/Dy. P.D. (T)
कृपया इसको Scan कर
Web-site पर भी डाल दें
7/9/17